अध्याय-V

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्त पोषण तंत्र

5.1 डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत, राज्यों को दो समूहों[66] में वर्गीकृत किया गया है। द्वित्तीय श्रेणी राज्यों हेतु, भारत सरकार की अनुदान के रूप में समर्थन की मात्रा स्वीकृत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत थी। योजना का वित्त पोषण तंत्र एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किए जाने के चरणों को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

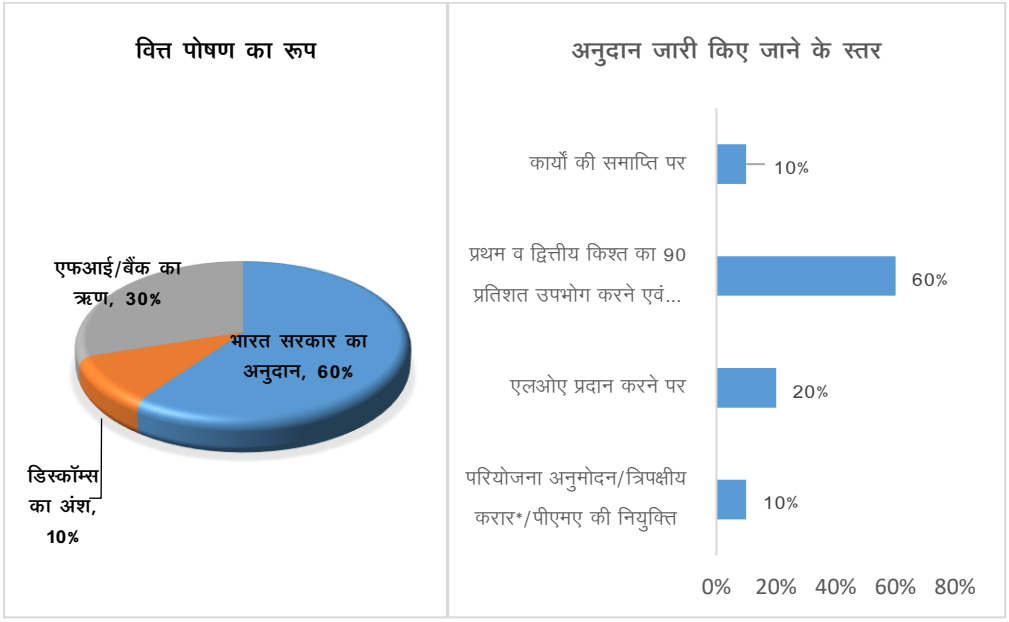

*** आरईसी, राजस्थान सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य त्रिपक्षीय करार**

परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा आशय पत्र (एलओए) जारी करने की दिनांक से 24 महीनों की अवधि में पूर्ण किया जाना था। निर्धारित मापदण्डों, यथा योजना को समय पर पूर्ण किया जाना, एमओपी द्वारा प्रक्षेपवक्र में अंतिम रूप दिए गये के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमी एवं राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोग के आधार पर स्वीकार्य सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करना, को पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान (परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) प्रदान किया जाना था। परियोजना वार वित्तीय प्रगति को **अनुबंध 5** में दर्शाया गया है।

---

66 विशेष श्रेणी के राज्य (सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्य) एवं (ii) विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त राज्य।

दावों के प्रस्तुतीकरण एवं निधि को जारी किए जाने की स्थिति

एमओपी द्वारा अनुदान जारी किए जाने का परियोजना वार विवरण **अनुबंध -6** में दर्शाया गया है।

अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी किया जाना

5.2 (i) अनुदान घटक से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने एमओपी की एमसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि से अनुदान की प्रथम किश्त जारी किए जाने हेतु दावों को प्रस्तुत करने में 532 दिवस एवं 939 दिवसों के मध्य का सारभूत समय लिया। साथ ही, एमओपी ने डिस्कॉम्स द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 38 दिवस एवं 97 दिवसों के मध्य के विलंब से अनुदान जारी किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओपी द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त जारी किये जाने में विलंब का मुख्य कारण डिस्कॉम्स द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन से त्रिपक्षीय करारों को निष्पादित किए जाने में लिया गया अत्यधिक समय (165 दिवस) था। साथ ही, डिस्कॉम्स ने क्षेत्र पीएमए की नियुक्ति में त्रिपक्षीय करारों को निष्पादित किए जाने से अत्यधिक समय (297 दिवसों एवं 368 दिवसों के मध्य) लिया। क्षेत्र पीएमए की नियुक्तियों के पश्चात भी, डिस्कॉम्स ने आरईसी के पास अनुदान की प्रथम किश्त, करौली परियोजना के अलावा, जहाँ दावा 406 दिवसों के अत्यधिक विलंब से किया गया था, का दावा 61 दिवसों एवं 70 दिवसों के मध्य विलंब से किया।

क्षेत्र पीएमए की नियुक्तियों के अतिरिक्त, आईसी ने डिस्कॉम्स को परियोजनाओं की संशोधित डीपीआर हेतु जिला विद्युत समिति (डीईसी) की अनुशंसाओं को भी प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया (जुलाई 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर व अजमेर डिस्कॉम्स ने विलंब से अगस्त 2017 में 19 परियोजनाओं एवं एक परियोजना (करौली) के संबंध में जुलाई 2018 में अनुशंसाऐं

प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स द्वारा 13 परियोजनाओं[67] के संबंध में डीईसी की अनुशंसाऐं प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(ii) सभी 33 परियोजनाओं के एलओए नवंबर 2016 एवं मई 2017 के मध्य जारी किए गये थे, परंतु जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने अनुदान घटक की द्वितीय किश्त जारी किए जाने हेतु अपने दावे विलंब से क्रमशः जनवरी 2018 एवं फरवरी 2018 में प्रस्तुत किए थे। अजमेर डिस्कॉम्स ने सितम्बर 2017 में ही द्वितीय किश्त हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था परन्तु एमओपी ने अन्य दो डिस्कॉम्स के साथ ही किश्त जारी (मार्च 2018) की।

सरकार ने कहा कि प्रथम किश्त की पात्रता हेतु तीन माइलस्टोन्स थे। साथ ही, आरईसी ने अप्रैल 2016 में सामान्य नियम व शर्तें जारी सूचित किए एवं तत्पश्चात ही त्रिपक्षीय करार निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार, द्वित्तीय किश्त हेतु दावे प्रथम किश्त के उपभोग एवं निर्धारित माइलस्टोन्स की प्राप्ति के पश्चात किए गये थे।

उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि त्रिपक्षीय करार निष्पादन के पश्चात भी डिस्कॉम्स ने पीएमए नियुक्त किए जाने में 297 एवं 368 दिवसों के मध्य का समय लिया। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने संशोधित डीपीआर पर डीईसी की अनुशंसाऐं एवं दोनो किश्तों हेतु दावे प्रस्तुत करने में विलंब किया। साथ ही, द्वित्तीय किश्त हेतु दावे के मामले में प्रथम किश्त को उपभोग किए जाने की कोई शर्त नहीं थी।

अनुदान की तृतीय किश्त जारी किया जाना

5.3 आरईसी ने सूचित किया (जनवरी 2018) कि डिस्कॉम्स के पास अव्ययित शेष को कम करने एवं दक्ष निधि प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु, तृतीय किश्त दो बराबर भागों में जारी की जाएगी। तृतीय किश्त के प्रत्येक भाग को जारी करने हेतु, डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में पूर्व से ही परिभाषित अन्य मापदंडों के अतिरिक्त, कुछ नए मापदण्ड जोड़े गए थे। इनमें आरईसी द्वारा देखे गये गुणवत्ता दोषों के सुधार के संबंध में प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) का प्रस्तुतिकरण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ब्याज प्रेषण, ऋण घटक (भाग-II) के 50 प्रतिशत का उपयोग इत्यादि प्रस्तुत करना सम्मिलित किये गये थे।

अनुदान घटक की तृतीय किश्त के दोनों भागों को जारी किए जाने के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने अपने दावे समय पर प्रस्तुत किए एवं तदनुसार एमओपी ने दावों की संवीक्षा/सत्यापन के पश्चात तृतीय किस्त के दोनों भाग समय पर जारी किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचलित मानदण्डों के साथ-साथ एमओपी द्वारा सम्मिलित किए गए नए मापदण्ड डिस्कॉम्स की ओर से पूर्ण नहीं पाए गए थे एवं तदनुसार, एमओपी ने अनुदान जारी करते समय, गुणवत्ता दोषों को सुधार नहीं किए जाने, अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त में जारी किए गये अनुदान का 90 प्रतिशत उपयोग नहीं किए जाने के साथ-साथ डिस्कॉम्स द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का दावा के पेटे ₹181.61[68] करोड़ की राशि की कटौती की थी।

---

67 जयपुर डिस्कॉम की एक परियोजना (सवाईमाधोपुर), अजमेर डिस्कॉम की दो परियोजनाएं (भीलवाड़ा व उदयपुर) एवं जोधपुर डिस्कॉम की 10 परियोजनाएं।

68 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 61.55 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 54.08 करोड़ एवं जोधपुर ₹ 65.98 करोड़।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि आरक्यूएम की टिप्पणियों पर अनुपालना प्रगति पर थी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने अपनी पात्रता के अनुसार दावे प्रस्तुत किये थे एवं शेष दावे माइलस्टोन्स की प्राप्ति एवं एसएलसी के अनुमोदन पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

प्रदान की गई लागत में अनुचित राज्य कर सम्मिलित करना

5.4 आरईसी, राजस्थान सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय करारों के अनुसार, सब्सिडी स्वीकृति लागत या प्रदान की गई लागत (राज्य एवं स्थानीय करों को छोड़कर), जो भी कम हो, के 60 प्रतिशत तक सीमित होगी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य एवं स्थानीय कर अनुमत्य नहीं हैं एवं राज्य सरकार/डिस्कॉम्स द्वारा वहन किए जाने हैं। परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय या प्रदान की गई लागत या एमसी द्वारा अनुमोदित की गई लागत, जो भी कम हो, के अनुसार पूर्व में जारी कोई भी आधिक्य (सब्सिडी राशि को पूर्ण परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु) को समायोजित करने के पश्चात 10 प्रतिशत की अंतिम किश्त जारी किए जाने हेतु परियोजना की अंतिम लागत के रूप में माना जाना है।

परियोजना स्वीकृत लागत, प्रदान की गई लागत, किये गये वास्तविक व्यय, एसजीएसटी एवं अधिकतम पात्र अनुदान का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 5.1

31 दिसंबर 2020 को स्वीकृत परियोजना लागत, प्रदान की गई लागत, वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ करोडों रूपये में)

डिस्कॉम्स	स्वीकृत लागत*	प्रदान की गई लागत	किया गया व्यय	किये गये व्यय पर एसजीएसटी	एसजीएसटी के बिना व्यय	एसजीएसटी हिस्से पर अनुदान (60%)
जयपुर	1027.08	965.68	969.52	73.95	895.57	44.37
अजमेर	829.35	829.68	895.35	68.29	827.06	40.97
जोधपुर	948.95	875.75	952.85	72.67	880.18	43.61
कुल	**2805.38**	**2671.11**	**2817.72**	**214.91**	**2602.81**	**128.95**

* **पीएमए के शुल्क के बिना**

स्त्रोतः मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने प्रत्येक परियोजना हेतु निविदाएं आमंत्रित की जिनमें बोलीदाताओं को मूल्य करों को सम्मिलित करते हुए उद्धृत किए जाने थे एवं तदनुसार संविदाएं करों को सम्मिलित करते हुए प्रदान की गई थी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने अनुदान जारी किए जाने हेतु दावे कुल किए गये व्यय हेतु दायर किए गये थे। दावा किए गये कुल व्यय में नौ प्रतिशत की दर से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) भी सम्मिलित था। एमओपी ने अनुदान घटक की तृतीय किश्त के भाग-I व भाग-II जारी करते समय डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत दावों में से एसजीएसटी भाग की कटौती की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने संविदाएं प्रदान किए जाते समय राज्य एवं स्थानीय करों की अमान्यता की अनिवार्य शर्त के साथ-साथ आरईसी पर दावे करते समय अनदेखा किया। साथ ही, डिस्कॉम्स ने प्रदान किए गये मूल्य (एसजीएसटी रहित) को परियोजना की स्वीकृत लागत से मिलान किए जाने के स्थान पर प्रदान किए गये मूल्य (एसजीएसटी सहित) को परियोजना की स्वीकृत लागत से मिलान किया। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के प्रदान किए गये मूल्य (अजमेर डिस्कॉम के अलावा) फीडर पृथक्करण, तंत्र सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग इत्यादि से संबंधित कार्यों में कमी के कारण और भी कम हो गये। परिणामस्वरूप, कुल स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 2,805.38 करोड़ के समक्ष एसजीएसटी को सम्मिलित करते हुए प्रदान किया गया मूल्य ₹ 2,671.11 करोड़ रहा जोकि एसजीएसटी घटक (₹ 220.55 करोड़) को छोड़ने के पश्चात और घटकर ₹ 2,450.56 करोड़ रह गया। चूंकि दिसम्बर 2020 तक दावा किए गये व्यय में ₹ 214.91 करोड़ मूल्य का एसजीएसटी सम्मिलित रहा, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत न केवल एसजीएसटी के मूल्य तक के कार्यों को निष्पादित किए जाने के अवसर को गंवाया अपितु ₹ 128.95 करोड़ मूल्य के अनुदान से भी वंचित रहे थे।

इस प्रकार, एसजीएसटी की अमान्यता के बारे में जानकारी होने के उपरांत भी निविदा आमंत्रित किए जाने की डिस्कॉम्स की दोषपूर्ण पद्धति ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन को अत्यधिक प्रभावित किया।

सरकार ने भविष्य की योजनाओं के नियोजन किए जाते समय लेखापरीक्षा आक्षेप पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया।

अमान्य भूमिगत केबिल कार्यों का समावेश

5.5 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमिगत केबिल कार्यों को कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर डिस्कॉम ने आरईसी से समग्र परियोजना लागत की सीमा के भीतर भूमिगत केबिल को अतिरिक्त मदों के रूप में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था (सितम्बर 2017)। तथापि, जयपुर डिस्कॉम ने एसएलएससी के साथ-साथ एमसी के अनुमोदन के बिना ₹ 48.22 करोड़ मूल्य के भूमिगत केबिल कार्य करवाए। जयपुर डिस्कॉम के बाद में किए गये अनुरोध (जनवरी 2020) पर आरईसी ने डिस्कॉम को एसएलएससी का अनुमोदन प्रस्तुत करने को कहा (सितम्बर 2020) जो कि परियोजना कार्य दिसम्बर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य पूर्ण होने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम ने एमओपी के पूर्व अनुमोदन के बिना योजना के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कार्यों को किया। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने प्रकरण को एसएलएससी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किए था एवं अतः एसएलएससी की अनिवार्य अनुमोदन आरईसी को प्रस्तुत नहीं कर सका। इस कारण दावे को अस्वीकार किया जा सकता है एवं ₹ 28.93 करोड़ मूल्य के अनुदान की हानि हो सकती है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जयपुर डिस्कॉम ने भूमिगत केबिल का उपयोग वहां किया जहां रास्ते के अधिकार की बाधाओं, एनएचएआई क्रॉसिंग आदि के के कारण ओवरहेड लाइन का निर्माण संभव नहीं था। इसने आगे कहा कि प्रकरण को एसएलएससी की अनुशंसा के साथ एमसी को दावा स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजनाओं के समापन हेतु उचित एवं समय पर कार्यवाही का अभाव

5.6 परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात, डिस्कॉम्स को निर्धारित प्रारूप में डिस्कॉम्स के प्रधान द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र, जिसमें पूर्णता की दिनांक, अनुमोदित एवं पूर्ण किए गए कार्यों की प्रमुख मदों का विवरण, किसी भी परियोजना के घटक का अपूर्ण या ठंडे बस्ते में डालने का औचित्य, परियोजना के समक्ष व्यय का मदवार विवरण इत्यादि से संबंधित सूचना सम्मिलित हो,प्रस्तुत करना आवश्यक था। अनुदान की अंतिम किश्त यथा पात्र अनुदान घटक का 10 प्रतिशत जारी किए जाने हेतु आरईसी को परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जोधपुर डिस्कॉम्स की सभी 10 परियोजनाएं एवं जयपुर डिस्कॉम्स की कुल 12 परियोजनाओं में से नौ परियोजनाएं क्रमशः जनवरी 2019 एवं जुलाई 2020 तथा मार्च 2020 एवं अक्टूबर 2020 के मध्य पूर्ण हो गई थी। तथापि, इन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र आरईसी को सारभूत अवधि[69] व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत नहीं किए गए थे (दिसम्बर 2020 तक)। साथ ही, अजमेर डिस्कॉम की 11 परियोजनाएं दिसम्बर 2020 तक चालू थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने में विलंब का मुख्य कारण अनुमोदित एवं निष्पादित बीओक्यू में व्यापक भिन्नता थी जिसके कारण जयपुर डिस्कॉम में नौ परियोजनाओं में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना पाया गया था, जबकि जोधपुर डिस्कॉम्स में एक परियोजना में भी कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप, अनुदान की अंतिम किश्त में भी इस सीमा तक विलंब हुआ था।

इस प्रकार, परियोजनाओं के समापन हेतु उचित एवं सामयिक कार्यवाही के अभाव के कारण एमओपी द्वारा अनुदान जारी करने में विलम्ब हुआ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि परियोजनाओं के समापन से पूर्व कार्यों के कार्यक्षेत्र में एवं अंतिम बीओक्यू में भिन्नता के लिए एसएलएससी का अनुमोदन आवश्यक था। इसने आगे कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में आरक्यूएम की अनुपालना भी लंबित हैं। इसलिए, इन दो डिस्कॉम्स में परियोजनाओं के समापन में कुछ समय लगेगा, जबकि जयपुर डिस्कॉम्स में समापन औपचारिकताएं सितम्बर 2021 तक पूर्ण करने की उम्मीद थी। तथापि, समापन प्रस्ताव आरईसी को प्रस्तुत किए जाने एवं उनका अनुमोदन प्रतीक्षित था (जनवरी 2022)।

अनुदान की कम प्राप्ति

5.7 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि अनुदान घटक का 90 प्रतिशत तीन चरणों में जारी किया जाना था यथा; परियोजना के अनुमोदन, एलओए को प्रदान करना एवं पूर्व में दो चरणों में जारी अनुदान के 90 प्रतिशत के उपयोग के साथ-साथ डिस्कॉम्स के योगदान का 100 प्रतिशत जारी करना। देय अनुदान एवं एमओपी द्वारा जारी किए गये अनुदान का विवरण **अनुबंध-5** में दर्शाया गया है:

अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि सभी तीनों डिस्कॉम्स को परियोजनाओं पर किए गए व्यय के अनुपात में अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था एवं इस प्रकार उन्हें योजना दिशानिर्देश के अनुसार

69 जोधपुर डिस्कॉम एवं जयपुर डिस्कॉम के प्रकरण में विलंब क्रमशः 102 दिवसों से 721 दिवसों के मध्य एवं 77 दिवसों से 296 दिवसों के मध्य था।

₹ 774.39 करोड़ का ऋण लेने के पश्चात एवं देय अनुदान के अतिरिक्त अपनी स्वयं की निधियों का विनियोजन करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं के प्रदान करने की लागत में उनके अंश का 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 267.11 करोड़ के समक्ष, डिस्कॉम्स ने अब तक ₹ 769.42 करोड़ (28.80 प्रतिशत) अर्थात अपेक्षित अंश के आधिक्य में ₹ 502.31 करोड़[70], का विनियोजन किया था, जिसमें से ₹ 86.87 करोड़ अनुदान की गैर/कम प्राप्ति से संबंधित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओपी द्वारा अनुदान जारी नहीं किए जाने का मुख्य कारण, आरईसी को दावे प्रस्तुत करते समय आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने में डिस्कॉम्स की विफलता थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आरईसी ने डिस्कॉम्स को अनिवार्य शर्तें[71] प्रस्तुत करने के लिए कहा (जनवरी 2019) जिससे कि अनुदान जारी किए जाने के दावों पर प्रक्रियागत किया जा सके। साथ ही, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं हेतु वित्तीय समापन प्रक्रिया सारभूत अवधि[72] व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्रारंभ नहीं की गई थी।

इस प्रकार, अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करने/अनुदान जारी करने हेतु दावों को प्रस्तुत करते समय अपेक्षित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के साथ-साथ परियोजनाओं के वित्तीय समापन में अत्यधिक विलंब की परिणीति अनुदान की प्राप्ति नहीं/कम प्राप्ति के रूप में हुई।

सरकार ने कहा कि डीडीयूजीजेवाई को मार्च 2021 तक बढा दिया गया था एवं परियोजना कार्य समय पर पूर्ण कर लिए गये थे। इसने आगे कहा कि समापन भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होने अपेक्षित थे।

तथ्य यह रहा कि परियोजना कार्यो के पूर्ण होने के उपरांत भी डिस्कॉम्स परियोजनाओं के समयबद्व वित्तीय समापन को सुनिश्चित नहीं कर सके।

अतिरिक्त अनुदान

5.8 डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, एक अतिरिक्त अनुदान अर्थात ऋण घटक का 50 प्रतिशत का प्रावधान था बशर्ते कि निर्धारित माइलस्टोन्स यथा (i) योजना को समय पर पूर्ण किया जाना, (ii) एमओपी द्वारा राज्य सरकारों (डिस्कॉम्स-वार) के परामर्श से अंतिम रूप दिए गये प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमी एवं एवं (iii) राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोग के आधार पर स्वीकार्य सब्सिडी का अग्रिम भुगतान को प्राप्त किया गया हो।

---

70 जयपुर डिस्कॉम-₹ 147.65 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 180.53 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम-₹ 174.13 करोड़।

71 व्यय पर प्रतिवेदन समर्थित पीएमए की अनुशंसा, परियोजनाओं की सामयिक पूर्णता हेतु प्रगति एवं बाधाऐं, पूर्ण/विद्युतीकृत/सौंपे गए गांवों की सूची, तैयार ढांचा यथा स्थापित अवसंरचना सहित सब-स्टेशनों की सूची अर्थात डीटीआर संख्या, क्षमता, एचटी/एलटी लाइन, गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा अवलोकित विसंगतियों की अनुपालना के संबंध में प्रमाण पत्र, सब्सिडी पर अर्जित ब्याज एवं इसके प्रेषण के विवरण, प्रत्येक परियोजना की जांच सूची, बीओक्यू में संशोधन हेतु प्रस्ताव /पुनर्निर्मित डीपीआर, फीडर पृथक्करण का विवरण इत्यादि

72 जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम के प्रकरण में क्रमशः 77 दिवसों से 296 दिवसों के मध्य एवं 102 दिवसों से 721 दिवसों के मध्य।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी तीनों डिस्कॉम्स निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में विफल रहे जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी 33 परियोजनाएं अत्यधिक विलंब (**अनुच्छेद 2.9 में चर्चा की गई**) से पूर्ण हुई थी। साथ ही, एटीएंडसी हानियाँ भी अंतिम रूप दिए गये प्रक्षेपवक्र के अनुसार कम नहीं हुई थी (**अनुच्छेद 2.20 में चर्चा की गई**)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राज्य सरकार ने भी कृषि उपभोक्ताओं, बीपीएल एवं लघु घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ सब्सिडी अग्रिम जारी नहीं की थी।

यदि डिस्कॉम्स निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त कर लेते, वह ₹ 387.19 करोड़[73] के अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के पात्र हो जाते।

सरकार ने कहा कि निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त कर अत्तिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के सभी प्रयास किये जाएंगे। इसने आगे स्वीकार किया कि हानि कम करने में अंतर बना रहा क्योंकि परियोजना कार्यो के कार्यान्वयन में विलंब हुआ था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स निर्दिष्ट समय में अतिरिक्त अनुदान की पात्रता हेतु निर्धारित माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में विफल रहे थे।

लागत में वृद्धि

5.9 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसी द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत या मूल्य विचलन, यदि कोई हो, सहित परियोजना की प्रदान की गई लागत, जो भी कम हो, योजना के अंतर्गत अनुदान (अतिरिक्त अनुदान सहित) निर्धारित करने के लिए योग्य लागत थी। साथ ही, एमसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात किसी भी कारण से लागत में कोई भी वृद्धि किसी अनुदान हेतु पात्र नहीं थी एवं लागत में वृद्धि डिस्कॉम्स या संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स प्रबंधन लागत में वृद्धि को टालने हेतु सतर्क नहीं था एवं परिणामस्वरूप परियोजनाएं प्रदान की गई लागत के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकीं। साथ ही, डिस्कॉम्स परियोजनाओं के वित्तीय समापन को भी पूर्ण नहीं कर सके थे एवं इसलिए लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में वास्तविक लागत वृद्धि का आंकलन नहीं कर सका। तथापि, 31 दिसंबर 2020 तक किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए 19 परियोजनाओं में, प्रदान की गई लागत पर मूल्य विचलन दावा अनुमत्य किए जाने के पश्चात, ₹ 187.51 करोड़ की लागत वृद्धि थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 5.2

लागत वृद्धि के साथ पूर्ण हुई परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	परियोजना	प्रदान लागत	वास्तविक व्यय	लागत में वृद्धि
अ	**जयपुर डिस्कॉम**			
1	अलवर	141.77	146.72	4.95
2	बांरा	38.54	45.19	6.65
3	दौसा	71.72	82.74	11.02

73 जयपुर डिस्कॉम-₹ 132.57 करोड़, अजमेर डिस्कॉम-₹ 119.04 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम-₹ 135.58 करोड़।

4	झालावाड	54.02	65.64	11.62
5	कोटा	31.05	39.57	8.52
6	टोंक	61.64	63.42	1.78
	कुल अ	**398.74**	**443.28**	**44.54**
ब	**अजमेर डिस्कॉम**			
1	बांसवाडा	140.05	163.71	23.66
2	भीलवाडा	50.02	57.15	7.13
3	चित्तौडगढ	36.27	39.20	2.93
4	डूंगरपुर	74.05	91.42	17.37
5	नागौर	65.21	67.52	2.31
6	सीकर	69.76	72.40	2.64
7	उदयपुर	190.36	210.35	19.99
	कुल ब	**625.72**	**701.75**	**76.03**
स	**जोधपुर डिस्कॉम**			
1	बाड़मेर	457.51	489.37	31.86
2	बीकानेर	65.32	72.55	7.23
3	गंगानगर	17.31	26.98	9.67
4	हनुमानगढ़	57.37	61.32	3.95
5	जालौर	56.29	67.96	11.67
6	पाली	26.93	29.49	2.56
	कुल स	**680.73**	**747.67**	**66.94**
	कुल योग (अ +ब+ स)	**1705.19**	**1892.70**	**187.51**

लेखापरीक्षा ने देखा कि लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव के साथ-साथ ठेकेदारों, जिन्हे परियोजनाएं प्रदान की गई थी, द्वारा टुकड़ों में सर्वेक्षण किया जाना था जिसके कारण बीओक्यू में बार-बार संशोधन के उदाहरण देखे गए थे। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित एवं अनुमोदित कार्यों में व्यापक कमी के उपरांत भी, डिस्कॉम्स प्रदान की गई लागत के भीतर परियोजनाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम्स में समग्र रूप से लागत में वृद्धि नहीं हुई। इसने आगे कहा कि जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स में, जिन परियोजनाओं में व्यय प्रदान की गई लागत से अधिक था, संशोधित बीओक्यू को लागत वृद्धि के वैध कारणों के साथ अनुमोदन के लिए एसएलएससी को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर ने प्रदान की गई लागत की तुलना में लागत में वृद्धि के मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था एवं तथ्य यह रहा कि डिस्कॉम्स संबंधित परियोजनाओं की प्रदान की गई लागत की सीमा के भीतर वास्तविक व्यय को रखना सुनिश्चित नहीं कर सके। इसके अलावा, लागत परियोजना-वार स्वीकृत की गई थी ना कि डिस्कॉम्स-वार, इसलिए, जैसा कि योजना दिशानिर्देश में वर्णित है, एमसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात लागत से अधिक व्यय किसी अनुदान हेतु पात्र

नहीं होगा। अतः प्रदान की गई लागत से अधिक व्यय को डिस्कॉम्स/राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।

अव्ययित अनुदान पर अर्जित ब्याज को जमा नहीं करवाना

5.10 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में डिस्कॉम्स को कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग अपनाने का प्रावधान है एवं ठेकेदारों व अन्य को परियोजना से संबंधित सभी भुगतान सीधे समर्पित बैंक खाते से किए जाने थे। खाते की प्रकृति सीएलटीडी (कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा) सुविधा[74] के साथ चालू खाता होनी थी। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई की पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान पर अर्जित किसी भी ब्याज को नियमित आधार पर एवं तिमाही में कम से कम एक बार एमओपी के बैंक खाते में जमा करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आयकर विभाग से छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी। तथापि, बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती के प्रकरण में, डिस्कॉम्स को वार्षिक कर विवरण दाखिल करते समय सीधे आयकर विभाग से कटौती की गई राशि की वापसी का दावा करना आवश्यक था एवं इसे एमओपी के खाते में जमा करना था।

अनुदान पर अर्जित ब्याज, बैंक द्वारा टीडीएस, धन वापसी के किये गये दावे आंकलन की स्थिति एवं एमओपी के बैंक खाते में जमा करवाने का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 5.3

अनुदान भाग पर अर्जित ब्याज, टीडीएस, धनवापसी एवं प्रेषण की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ में)

डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष	अनुदान पर अर्जित ब्याज	बैंक द्वारा कुल टीडीएस	एमओपी को धनवापसी का प्रेषण	धनवापसी के दावे की राशि	आंकलन/ धनवापसी की स्थिति (हां/नहीं)
जयपुर	2017-18	7070931	707470	-	707470	नहीं
	2018-19	11505817	1150759	6363461 (दिसम्बर 2018)	1150759	नहीं
				6353253 (फरवरी 2019)		
	2019-20	1831559	183607	1756819 (जून 2019)	183607	नहीं
				400343 (जनवरी 2020)		
				421531 (जून 2020)		
	कुल	**20408307**	**2041836**	**15295407**	**2041836**	
अजमेर	2017-18	0	0	3846258 (अक्टूबर 2018/टीडीएस सहित)	0	-

74 सीएलटीडी चालू खाता एवं सावधि जमा का संयोजन है। जब तब चालू खाते का शेष एक निश्चित राशि से अधिक होता है, आधिक्य राशि निष्क्रिय धन पर ब्याज अर्जन के लिए सावधि जमा खाते में हस्तांतरित (स्वीप) हो जाती है।

	2018-19	9456015	1164372		1164372	हां
	2019-20	5341718	534172		534172	नहीं
	कुल	**14797733**	**1698544**	**3846258**	**1698544**	
जोधपुर	2017-18	2928815	292881	-	292881	हां
	2018-19	5536832	0	-	0	-
	2019-20	2061850	434904	8465647 (सितम्बर 2019/टीडीएस सहित)		
				2061850 (जून 2020/टीडीएस सहित)	434904	नहीं
	कुल	**10527497**	**727785**	**10527497**	**727785**	

स्रोतः डिस्कॉम्स के बैंक विवरण, आईटी विवरणी एवं कर निर्धारण अभिलेख।

प्रत्येक डिस्कॉम्स के समर्पित बैंक खातों के माध्यम से किए गए संचालनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईः

- किसी भी डिस्कॉम ने अर्जित ब्याज को त्रैमासिक आधार पर एमओपी को जमा नहीं करवाया।
- जहाँ जयपुर डिस्कॉम ने ₹ 2.04 करोड़ के अर्जित ब्याज राशि के समक्ष ₹ 1.53 करोड़ (टीडीएस को छोड़कर) का ब्याज जमा करवाए, जोधपुर डिस्कॉम ने संबंधित बैंक द्वारा कटौती किए गये टीडीएस पर विचार किए बिना ₹ 1.05 करोड़ की सम्पूर्ण ब्याज राशि जमा करवायी। अजमेर डिस्कॉम ने 2018-20 के दौरान अर्जित ₹1.48 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 0.38 करोड़ (टीडीएस सहित) जमा करवाए।
- अजमेर डिस्कॉम ने मार्च 2018 तक सीएलटीडी सुविधा नहीं ली थी एवं तदनुसार, अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान अधिशेष निधि (₹ 96.95 करोड़ तक) की उपलब्धता होने पर भी बैंक द्वारा ब्याज जमा नहीं किया गया था।
- डिस्कॉम्स ने स्रोत पर कर की कटौती नहीं किए जाने हेतु आयकर विभाग से छूट प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठाए थे एवं इसलिए संबंधित बैंकों ने अव्ययित शेषों पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस की कटौती की।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम ने आयकर विभाग से टीडीएस की कटौती से छूट प्राप्त की थी एवं अजमेर डिस्कॉम्स द्वारा 2018-20 के दौरान अर्जित ब्याज की बकाया राशि दिसम्बर 2020 में जमा करवायी गई थी।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के मामलों में, क्रमशः आयकर विभाग से छूट प्राप्त किए जाने एवं एमओपी को ब्याज जमा किए जाने के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज उत्तर के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

साथ ही, तथ्य यह रहा कि अजमेर डिस्कॉम ने चालू खाते पर प्रारंभ से सीएलटीडी सुविधा नहीं ली थी। चूंकि जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने कर छूट लिए बिना सकल ब्याज जमा करवाया,

दोनो डिस्कॉम्स टीडीएस के रूप में कटौती की गई राशि को तब तक वहन करना पड़ेगा जब तक कि वह कर छूट प्राप्त करें एवं धनवापसी प्राप्त करेंगें।

निष्कर्ष

- डिस्कॉम्स ने अनुदान किश्तें जारी किए जाने हेतु दावे अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किये। साथ ही, दावे आवश्यक दस्तावेजों/औपचारिकताओं जैसे त्रिपक्षीय करारों का निष्पादन, पीएमए की नियुक्ति, डीईसी की अनुशंसाऐं सिफारिशों, अन्य मापदण्डों की अनुपालना यथा आरईसी द्वारा अवलोकित गुणवत्ता दोषों के सुधार का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, ब्याज जमा करवाना, आदि के साथ समर्थित नहीं थे।
- अनुदान की गणना/दावा करने की प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि दावे एसजीएसटी की अमान्यता होने के उपरांत भी इसे सम्मिलित कर किए गये थे।
- परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स द्वारा समापन औपचारिकताएं प्रारंभ नहीं की गई थी।
- डिस्कॉम्स को परियोजनाओं को प्रदान की गई लागत से अधिक व्यय किए जाने के कारण लागत वृद्धि वहन करनी पड़ी।

सिफारिशें

डिस्कॉम्स को योजनाओं का लाभ लेने एवं समय पर निधियों की प्राप्ति हेतु सभी औपचारिकताओं को वास्तविक समय में पूर्ण करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।